दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 06/05/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:

1	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
4	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
5	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6	डॉ0 श्रीकान्त दीक्षित	आचार्य, भूगोल विभाग	सदस्य
7	डॉ0 निजामुद्दीन	आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
8	डॉ0 श्रीमती मालविका श्रीवास्तव	उपाचार्य, वनस्पति विज्ञान विभाग	सदस्य
9	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
10	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ, शिक्षक महाविद्यालय	सदस्य
11	डॉ0 (श्रीमती) सरोज श्रीवास्तव	वरिष्ठ, शिक्षक महाविद्यालय	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

विशेष आमंत्रित

1	प्रो0 मिहिर राय चौधरी	प्रतिनिधि, अध्यक्ष, भौतिक विभाग
2	प्रो0 जे0पी0 विश्वकर्मा	अध्यक्ष, गणित विभाग
3	प्रो0 नूतन त्यागी	अध्यक्ष, भूगोल विभाग
4	डॉ0 संजीत गुप्ता	सदस्य, अनुचित साधन प्रयोग कमेटी

कार्यसूची :

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 15/07/2015, 19/11/2015, 18/01/2016, 19/02/2016 तथा आकस्मिक बैठक दिनांक 29/07/2015, 11/08/2015, 26/03/2016, 02/04/2016, 11/04/2016, 18/04/2016 की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।

   निर्णयः समिति ने परीक्षा समिति की उपरोक्त बैठकों की कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की।

2. पी0डी0 लॉ0 कालेज, मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर में दिनांक 04/02/2016 को सम्पन्न विधि द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा–2015 के उन्नीसवें प्रश्नपत्र (बैकिंग विधि) के सम्बन्ध में उड़ाका दल की शिकायत एवं सामूहिक नकल निस्तारण समिति की प्राप्त होने वाली संस्तुतियों विचार।

   निर्णयः समिति ने विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि पी0डी0 लॉ0 कालेज, मुखलिसपुर रोड, खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर में दिनांक 04/02/2016 को सम्पन्न विधि द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा–2015 के उन्नीसवें प्रश्नपत्र (बैकिंग विधि) के सम्बन्ध में सामूहिक नकल की रिपोर्ट सही पायी गयी है जिसमें अनुचित साधन प्रयोग के नियमों के अनुसार प्राप्तांक का 30 प्रतिशत अंकों की कटौती कर महाविद्यालय का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा महाविद्यालय को आगामी सेमेस्टर परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र न बनाकर आगामी सेमेस्टर की परीक्षा किसी अन्य महाविद्यालय पर करायी जाय।

3. पं0 सूर्य नारायण चतुर्वेदी विधि महाविद्यालय, खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर में दिनांक 28/01/2016 को सम्पन्न विधि द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा–2015 के सत्रहवें प्रश्नपत्र (पर्यावरण विधि) के सम्बन्ध में उड़ाका दल की शिकायत एवं सामूहिक नकल निस्तारण समिति की प्राप्त होने वाली संस्तुतियों पर विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया कि पं0 सूर्य नारायण चतुर्वेदी विधि महाविद्यालय, खलीलाबाद, सन्तकबीरनगर में दिनांक 28/01/2016 को सम्पन्न विधि द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा–2015 के सत्रहवें प्रश्नपत्र (पर्यावरण विधि) के सम्बन्ध में सामूहिक नकल की रिपोर्ट सही पायी गयी है जिसमें अनुचित साधन प्रयोग के नियमों के अनुसार प्राप्तांक का 30 प्रतिशत अंकों की कटौती कर महाविद्यालय का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा आगामी सेमेस्टर परीक्षा हेतु महाविद्यालय को परीक्षा केन्द्र न बनाकर आगामी सेमेस्टर की परीक्षा किसी अन्य महाविद्यालय पर करायी जाय।

4. गायत्री देवी डिग्री कालेज, पथरा, बड़गो, गोरखपुर परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 05/03/2016 की प्रातः पाली में बी0ए0 भाग एक राजनीतिशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा में अनुक्रमांक 1610017780228 के छात्र जयकिशुन पुत्र रामरतन पारावान के स्थान पर दूसरे सुनील कुमार नाम के छात्र के परीक्षा देने के सम्बन्ध में समन्वयक, उड़ाका दल, गोरखपुर दक्षिणी, डॉ0 शेखर वर्मा की आख्या दिनांक 05/03/2016 पर विचार।

   निर्णयः समन्वयक की आख्या के अनुसार इस प्रकरण में प्राथमिकी (एफ0आई0आर0) दर्ज है, अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि गायत्री देवी डिग्री कालेज, पथरा, बड़गो, गोरखपुर परीक्षा केन्द्र पर दिनांक 05/03/2016 की प्रातः पाली में बी0ए0 भाग एक राजनीतिशास्त्र प्रथम प्रश्नपत्र की परीक्षा में अनुक्रमांक 1610017780228 के छात्र जयकिशुन पुत्र रामरतन पासवान के स्थान पर दूसरे छात्र सुनील कुमार द्वारा परीक्षा देने के इस प्रकरण को अनुचित साधन प्रयोग समिति के नियमों के अनुरूप छात्र की इस वर्ष की परीक्षा निरस्त करते हुए आगामी दो सत्रों (सत्र 2016–17 एवं सत्र 2017–18) की परीक्षा से वंचित किया जाय।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष के अनुमति से।

1. वार्षिक परीक्षा वर्ष–2015 में बी0ए0 तृतीय वर्ष के छात्र आकाब आलम, अनुक्रमांक 1520110010441 पी–7 के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित हैं किन्तु उनकी उत्तरपुस्तिका न प्राप्त होने के कारण परीक्षाफल अपूर्ण है, उनके परीक्षाफल पूर्ण कराने पर विचार।

   निर्णयः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वार्षिक परीक्षा वर्ष–2015 में बी0ए0 तृतीय वर्ष के छात्र आकाब आलम, अनुक्रमांक 1520110010441 को औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय एवं वर्ष–2015 की इस तरह के प्रकरण आने पर इसी तरह कारवाई कर ली जाय।

2. श्री सुधीर कुमार, पुलिस उपमहानिरीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्र संख्या 1976 दिनांक 11/04/1976 के क्रम माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या 15459/14 रंजीत पंडित एवं अन्य बनाम बिहार सरकार के सुनवाई के क्रम में पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही निगरानी जांच संख्या बी0एस0–08/15 के क्रम में पूर्व में प्रेषित 666 एवं वर्तमान में प्रेषित 923 अभ्यर्थियों के सत्यापन पत्रों के सत्यापन शुल्क पर विचार।
   (पूर्व में प्राप्त 666 सत्यापन पत्रों का शुल्क रू0 66,600.00 के शुल्क हेतु पत्र प्रेषित किया गया जिसका कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ, पुनः 923 छात्रों के सत्यापन हेतु पत्र प्राप्त कराया गया है)

   निर्णयः विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 06/01/2010 के बिन्दु संख्या–7 के निर्णय–
   "1(अ) देश के अन्दर सरकारी विभागों से सत्यापन शुल्क रू0 100.00 प्रति प्रमाण पत्र की दर से तथा गैरसरकारी संस्थाओं से सत्यापन शुल्क रू0 500.00 प्रति प्रमाण पत्र की दर से सत्यापन शुल्क लिये जाने की संस्तुति की गई।"

   जो कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च निकाय कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित है का संज्ञान लेते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना को प्रेषित विश्वविद्यालय के पत्र संख्या–7069/प0सा0/2015 दिनांक 18/12/2015 का भी संज्ञान लिया, जिसमें 666 अभ्यर्थियों के सत्यापन के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा 102 अभ्यर्थियों के सत्यापन पत्र प्रेषित किये जाने का भी संज्ञान लिया तथा सत्यापन शुल्क देने हेतु किये गये अनुरोध का भी संज्ञान लिया।

   विश्वविद्यालय के नियमों आदि पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 'पुलिस उपमहानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना को निर्धारित शुल्क जमा करने का अनुरोध किया जाय, जिससे विश्वविद्यालय के नियमों के तहत अंकपत्रों/प्रमाण पत्रों का शीघ्र सत्यापन कर प्रेषित किया जा सके।

3. सेमेस्टर परीक्षा वर्ष–2016 में द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में निम्न छात्रों का परीक्षा फार्म भरने पर विचार–
   (क) अजीत प्रकाश मिश्रा, अनुक्रमांक 7625001003, एम0ए0 भूगोल द्वितीय सेमेस्टर वर्ष–2014, विश्वविद्यालय केन्द्र की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं। वर्ष–2015 की परीक्षा में भूतपूर्व छात्र के रूप में अर्ह थे किन्तु वर्ष–2015 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। एक वर्ष के अन्तराल पर वर्ष–2016 में द्वितीय सेमेस्टर की भूतपूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा फार्म भरने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया गया है।

(ख) संजय कुमार, अनुक्रमांक 7490010036, एम0एस–सी0 भौतिकी द्वितीय सेमेस्टर वर्ष–2014, विश्वविद्यालय केन्द्र की परीक्षा में प्रोन्नत (Promoted) हुए हैं, वर्ष–2015 में बैक पेपर की परीक्षा हेतु अर्ह थे, किन्तु वर्ष–2015 में बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। एक वर्ष के अन्तराल पर वर्ष–2016 में द्वितीय सेमेस्टर की बैकपेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए परीक्षा फार्म भरने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया गया है।

(ग) श्वेता वर्मा एवं पूजा तिवारी एम0एस–सी0 गणित प्रथम सेमेस्टर वर्ष–2014, विश्वविद्यालय केन्द्र की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं, किन्तु द्वितीय सेमेस्टर वर्ष–2014 एवं वर्ष–2015 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पायी हैं। दो वर्ष के अन्तराल पर दोनों अभ्यर्थियों का वर्ष–2016 में द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए विभाग में प्रवेश प्राप्त कर परीक्षा फार्म भरने हेतु विभागाध्यक्ष द्वारा अग्रसारित किया गया है।

(घ) अविनाश पाण्डेय गणित एम0एस–सी0 चतुर्थ सेमेस्टर, अनुक्रमांक 7482070002 वर्ष–2014, शिवहर्ष किसान पी0जी0 कालेज, बस्ती की परीक्षा में संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित हुआ। अनुचित साधन प्रयोग में आरोपित होने कारण अनुचित साधन प्रयोग निस्तारण समिति द्वारा वर्ष–2014 का परीक्षाफल निरस्त एवं वर्ष–2015 की परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया। वर्ष–2016 की परीक्षा में भूतपूर्व अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित होने पर विचार।

(ङ) कनक लता सिंह एम0एस–सी0 चतुर्थ सेमेस्टर रसायन शास्त्र वर्ष–2014, अनुक्रमांक 7527220028, एम0जी0 पी0जी0 कालेज, गोरखपुर, भूतपूर्व परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होकर अनुत्तीर्ण हुई। वर्ष–2016 की परीक्षा में पुनः भूतपूर्व की परीक्षा में सम्मिलित होने पर विचार।

निर्णयः

(I) समिति ने विस्तृत विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपरोक्त समस्त प्रकरण में छात्रहित में छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दिया जाय लेकिन भविष्य में इसे उदाहरण न माना जाय।

(II) स्नातकोत्तर सेमेस्टर परीक्षा के नियमों/प्रावधानों में आ रही समस्याओं को दूर करने एवं स्पष्ट करने हेतु समस्त संकायाध्यक्ष एवं चार विभागों क्रमशः भौतिकी, प्राणि विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल के विभागाध्यक्षों की एक कमेटी बना ली जाय जो सेमेस्टर परीक्षाओं से सम्बन्धित नियमों एवं प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट संस्तुति दें।

4. रामजी सहाय महाविद्यालय, रूद्रपुर देवरिया के स्नातक प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा एक दिन पूर्व कराने सम्बन्धी प्रकरण व जाँच के क्रम में प्राप्त जांच आख्या पर विचार।

निर्णयः समिति के समक्ष सील बन्द जाँच आख्या खोलते हुए, आख्या पढ़कर सुनाई गयी। समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि रामजी सहाय महाविद्यालय, रूद्रपुर देवरिया के स्नातक प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्नपत्र की परीक्षा एक दिन पूर्व कराने सम्बन्धी प्रकरण में प्रश्नपत्र का परीक्षा तिथि से पूर्व खुलना प्रमाणित नहीं हुआ है, अतः जांच रिपोर्ट के आलोक में प्रकरण को समाप्त माना जाय।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति